भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2814
मंगलवार, 18 मार्च, 2025/27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

पैक्स का डिजिटलीकरण

†2814. श्री बलराम नाइक पोरिकाः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटलीकरण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) बहु-राज्य सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) नई सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्रालय
(श्री अमित शाह)

(क): भारत सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना शामिल है, जो उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ता है । परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है और दिनांक 27.01.2025 तक ईआरपी सॉफ्टवेयर पर 50,455 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया है । अब तक, 30 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र से 67,930 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए दिनांक 27.01.2025 तक संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 741.34 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 60,382 पैक्स को हार्डवेयर वितरित किया गया है। पैक्स परियोजना के कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत हुई प्रगति का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है ।

(ख): बहु-राज्य सहकारी समितियों में शासन को सशक्त करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने, कुप्रबंधन और वित्तीय धोखाधड़ी के मुद्दों के समाधान करने और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार आदि के लिए, बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम और नियमों जहां मौजूदा कानून को पूरक के रूप में और सत्तानवेंवा संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करके क्रमशः दिनांक 03.08.2023 और 04.08.2023 को व्यापक रूप से संशोधित और अधिसूचित किया गया है ।

बहुराज्य सहकारी समितियों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने और उनमें वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम के लिए उपर्युक्त संशोधन द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ अनेक उपंबध किए गए हैं: -

i. बहुराज्य सहकारी समितियों में समयबद्ध, नियमित और पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का उपबंध शामिल किया गया है ।

ii. सदस्यों की शिकायतों के समाधान हेतु एक तंत्र उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा सहकारी आम्बड्समैन की नियुक्ति ।

iii. पारदर्शिता में सुधार हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति ।

iv. पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर/जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल से समवर्ती संपरीक्षण शुरू किया गया है । समवर्ती संपरीक्षण से धोखाधड़ी या अनियमितताएं, यदि कोई हो, का शीघ्र पता लगना सुनिश्चित होगा और तदनुसार त्वरित सुधार किया जा सकेगा । वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के संपरीक्षकों के निम्नलिखित दो पैनल अधिसूचित किए गए हैं:

   क पांच सौ करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी मामला हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के सांविधिक संपरीक्षण करने के लिए संपरीक्षकों का पैनल ।

   ख पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी मामला हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के सांविधिक और समवर्ती संपरीक्षण हेतु संपरीक्षकों का पैनल ।

v. पारदर्शिता में सुधार हेतु राष्ट्रीय सहकारी समितियों की संपरीक्षण रिपोर्ट संसद में रखी जाएंगी ।

vi. लेखांकन और संपरीक्षण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए लेखांकन और संपरीक्षण मानकों का निर्धारण किया जाएगा ।

vii. शासन और पारदर्शिता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों की वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड के सर्वसम्मति से नहीं लिए गए निर्णयों को भी शामिल किया जाएगा।

viii. केंद्रीय सरकार द्वारा थ्रिफ्ट और क्रेडिट का कारोबार करने वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड (तरलता, एक्सपोजर, आदि) निर्धारित किया जाएगा ।

ix. बहुराज्य सहकारी समितियों में परिवारवाद और पक्षपात पर अंकुश लगाने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति के निदेशक उन मामलों पर चर्चा और मतदान में उपस्थित नहीं होंगे जहां वे या उनके रिश्तेदार हितबद्ध पक्ष के रूप में हैं।

x. शासन सुधार, बकाया की बेहतर वसूली और लोप और चूक या धोखाधड़ी के ऐसे कृत्य की पुनरावृति कहीं अन्यत्र न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों की निरर्हता के अतिरिक्त आधार बनाए गए हैं ।

xi. सुरक्षित निवेश सुनिश्चित करने और औपनिवेशिक युग की प्रतिभूतियों के संदर्भों को हटाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा निधियों के निवेश के उपबंधों को पुन: परिभाषित किया गया है।

xii. वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता में वृद्धि के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड द्वारा अन्य समितियों के साथ-साथ संपरीक्षण और आचार समिति का गठन किया जाएगा ।

xiii. शासन सशक्तीकरण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति के मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं ।

xiv. बहुराज्य सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक निर्णयन को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति निर्धारित की गई है ।

xv. केन्द्रीय पंजीयक को कपटपूर्ण रीति से या किन्हीं गैरकानूनी प्रयोजनों के लिए कारोबार करने की सूचना प्राप्त होती है, तो उसके द्वारा जांच की जाएगी ।

xvi. दुर्व्यपदेशन (misrepresentation), धोखाधड़ी, आदि से प्राप्त पंजीकरण की दशा में, सुनवाई का अवसर देने के बाद बहुराज्य सहकारी समिति के परिसमापन का उपबंध ।

xvii. बहुराज्य सहकारी समितियों के सामूहिक हितों के विरुद्ध कार्य करने से सदस्यों को हतोत्साहित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति से निष्कासित सदस्य के निष्कासन की न्यूनतम अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है ।

(ग): सरकार ने दिनांक 15.2.2023 को देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक पहुँचाने की योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राज्य सरकारों के समर्थन से डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि सहित विभिन्न मौजूदा भारत सरकार योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने वाली 2 लाख नए बहुउद्देशीय पीएसी (एम-पीएसी), डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना शामिल है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार दिनांक 15.2.2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से देश भर में दिनांक 27.1.2025 तक कुल 12,957 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को पंजीकृत किया गया है।

*****

अनुलग्नक

पैक्स परियोजना के कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत हुई प्रगति का राज्यवार विवरण

क्रम. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कम्प्यूटरीकरण के लिए चयनित पैक्स	ईआरपी पर ऑनबोर्ड किया गया	पैक्स की संख्या जहां हार्डवेयर वितरित किया गया	डे-एंड
1.	महाराष्ट्र	12,000	10,979	11,018	8,200
2.	राजस्थान	6,781	4,206	6,781	2,085
3.	गुजरात	5,754	5,249	5,754	2,165
4.	उत्तर प्रदेश	5,686	2,978	3,062	1,999
5.	कर्नाटक	5,491	2,077	5,491	81
6.	मध्य प्रदेश	4,536	4,516	4,534	3,244
7.	तमिलनाडु	4,532	4,529	4,532	4,523
8.	बिहार	4,495	4,440	4,477	4,171
9.	पश्चिम बंगाल	4,167	1,103	1,647	430
10.	पंजाब	3,482	1,720	3,456	160
11.	आंध्र प्रदेश	2,037	1,734	2,021	-
12.	छत्तीसगढ़	2,028	2,010	2,028	1,934
13.	हिमाचल प्रदेश	1,789	836	870	317
14.	झारखंड	1,500	1,467	1,500	1,380
15.	हरियाणा	710	617	710	54
16.	उत्तराखंड	670	185	670	185
17.	असम	583	580	583	252
18.	जम्मू और कश्मीर	537	531	537	523
19.	त्रिपुरा	268	245	268	74
20.	मणिपुर	232	45	-	42
21.	नागालैंड	231	33	33	2
22.	मेघालय	112	103	109	100
23.	सिक्किम	107	107	107	34
24.	गोवा	58	35	50	16
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	46	46	46
26.	पुडडुचेरी	45	37	45	37
27.	मिजोरम	25	25	25	20
28.	अरुणाचल प्रदेश	14	11	14	1
29.	लद्दाख	10	9	10	9
30.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4	2	4	-
	कुल	**67,930**	**50,455**	**60,382**	**32,084**